संख्या-44/2015/2013 ई-2/तेरह-2015-25/2011

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 14 सितम्बर,2015

विषय:-श्रीमती निशा सिंह, प्रोपराइटर, शानग्रिला बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, सिम-16, सेक्टर-आई, प्रभात चौराहा जानकीपुरम्, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-980/जि0आ0अ0/बार अनुज्ञापन/लखनऊ/2015-16, दिनांक 25 अगस्त,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 अगस्त,2015 के साथ प्राप्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 14-8-2015 में जिला बार समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-85/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-10/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 में की गई संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती निशा सिंह, पत्नी श्री दयाशंकर सिंह, नि0-एम0एम0एस0-2/226, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ के नाम शानग्रिला बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, सिम-16, सेक्टर-आई, प्रभात चौराहा, जानकीपुरम्, लखनऊ में वर्ष 2015-16 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत, सृजित/व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2015/2013(1) ई-2/तेरह-2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-85/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-10/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in